

9-2-24 वकील जाधी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
द्वारा 151 C.P.C. के तहत पत्रावली को तलब
कर Not Adress के आदेश फरमाने बाबत
पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी
चूंकि मूलवाद को Not Adress करने
की अनुमति दी जा चुकी है, इस कारण
उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं होने से जाधी का प्रार्थना-पत्र
स्वामिज किया जाता है

पत्रावली फैंसल कुमार होकर
नम्बर से कम हो।

उपसुपड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)